"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



Seen 13/8/13

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013—श्रावण 18, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक 1577/630/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1121-1122/356/2013/1-8/स्था, दिनांक 31-05-2013 के पैरा-1 में श्री जवाहर श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संविदा), छत्तीसगढ़ शासन, राजभवन, सचिवालय, रायपुर को दिनांक 01-06-2013 से 14-06-2013 तक 14 दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुये दिनांक 1-6-2013 से 7-6-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. विभागीय आदेश दिनांक 31-05-2013 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 9-8/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्रालय सेटअप में अन्य संवर्ग के लिए स्वीकृत संयुक्त सचिव के रिक्त पदों में से एक पद को संविदा का पद घोषित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(3) के तहत, श्री पी. एल. निहलानी, सेवानिवृत्त (रा.प्र.से.) संयुक्त सचिव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करते हुए, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2. उक्त संविदा नियुक्ति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत सेवानिवृत्ति शासकीय सेवकों के प्रावधान लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक 696/326/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, वन विभाग को दिनांक 08-05-2013 से 17-05-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18-5-2013 तथा 19-5-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक 698/518/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पारसनाथ राम, उप-सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 10-04-2013 से 26-06-2013 तक 77 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पारसनाथ राम, आगामी आदेश तक उप-सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक 702/210/अव./2013/1-8/स्था.—श्री टी. सी. गुप्ता, उप-सचिव, पर्यटन विभाग को दिनांक 25-03-2013 से 30-03-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-03-2013 तथा 31-03-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. सी. गुप्ता, आगामी आदेश तक उप-सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक 704/539/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 01-08-2013 से 08-08-2013 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10 तथा 11-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टंडन, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री टंडन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टंडन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक 706/523/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 01-07-2013 से 06-07-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-06-2013 तथा 07-07-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. सिद्दिकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक 4779/तक. 782/परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70-क के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, क्रमांक 614/विभाग की अधिसूचना/2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा यथा संशोधित विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-2/आठ/परि./2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

खण्ड-1 में, शब्द "बारह माह की कालावधि" के स्थान पर, शब्द "छत्तीस माह की कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाए.

No. 4779/तक. 782/परि./2013.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 70-A of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government, hereby, makes the following further amendment in Department's Order No. F 5-2/VIII/Tr/2011, dated 8th August, 2011 as amended by No. 614/Department Notification/2011, dated 23rd December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said order,—

In clause-1, for the words "a period of twenty four months", the words "a period of thirty six months" shall be substituted".

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक 4779/तक. 782/परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर (कक्ष क्रमांक एस-4/10) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 70-क के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावधान, ऐसे प्रक्रम वाहन अनुज्ञा पत्रों पर, जो दिनांक 17 जून, 2011 के पूर्व स्वीकृत किये गये हों, उनको पांच वर्ष की कालावधि के लिए अथवा जहां ऐसे अनुज्ञा पत्र की वैधता दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके पूर्व समाप्त हो गई हो, उन्हें छत्तीस माह के लिए, इनमें से जो भी पूर्व में हो, लागू होंगे".

No. 4779/Tak. 782/Tr./2013.—The following further draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, Transport Department, Mantralaya, Naya Raipur (Room No. S-4/10) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (3) of rule 70-A, the following shall be substituted, namely :-

"(3) The provision of sub-rule (1) and (2) of this rule shall apply to a Stage Carriage permit granted prior to 17th June, 2011, for a period of five years or where the validity of such permit has expired on or before 19th April, 2012, to such permits for thirty six months, whichever is earlier".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमकृष्ण राठौर, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक 1337/835/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राहुल भगत, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को दिनांक 22-07-2013 से 27-07-2013 तक (कुल 06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20-07-2013, 21-07-2013 एवं 28-07-2013 के विज्ञप्त शास. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री भगत को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे..

3. अवकाश से लौटने पर श्री राहुल भगत, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री राहुल भगत, पुलिस अधीक्षक, रायगढ़, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ का प्रभार श्री टी. आर. कोशिमा, (रापुसे.) सेनानी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल भगत, पुलिस अधीक्षक, रायगढ़, अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक/5062/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गनेरी प. ह. नं. 13	0.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	झूरानाला एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक/5063/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बिटाल प. ह. नं. 26	1.012	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	खुर्सीपार जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक/5064/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पठानढोड़गी प. ह. नं. 24	0.041	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव	कोलियारी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक/5065/भ-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पांडेटोला प. ह. नं. 08	1.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	बिटाल जलाशय के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक/14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	नरगोड़ा प. ह. नं. 29	15.83	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	तुंगननाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व) मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सरसेनी प. ह. नं. 37	0.25	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	पिरैया एनीकट पहुंच निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	चूराघाट प. ह. नं. 23	0.35	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	चूराडीह स्टापडैम निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	घोघरा प. ह. नं. 23	0.33	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	चूराडीह स्टापडैम निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक/1668/अ.भू.अ./प्रक्र 1/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	करामाल प. ह. नं. 14	0.69	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बेमेतरा.	ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर, उरला, पठारीडीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) मे (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मुड़गांव	0.126	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष)	इफको छ. ग. पावर लि. द्वारा प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	लब्जी	6.576	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	तिरकेला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	फुलचुही	0.479	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पण्डरीडांड जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नारायणपुर	0.691	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पण्डरीडांड जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :— .

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	फुलचुही	0.593	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पण्डरीडांड जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कंचनपुर	8.418	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कंचनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक/3428/भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	चितालंका	0.40	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर.	अटल विहार योजना अन्तर्गत कालोनी के रास्ता के लिए भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 27/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खुटेरी प.ह.नं. 25	0.36	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	खुटेरी स्टाप डेम योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 28/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	डुड़िया प.ह.नं. 5/18	0.51	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जोगनाला जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 29/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	भाठागांव (आर)/33	2.48	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भाठागांव सिंचाई उदवहन योजना जरवाय माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र.क्र. 30 अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कोडेवा प.ह.नं. 24	3.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र.क्र. 31 अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	बासीन प.ह.नं. 26	1.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ.भू.अ.-अ.प्र.क्र. 32 अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कांदुल प.ह.नं. 19	2.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ भू.-अप्रक्र 33/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कांदुल प.ह.नं. 19	1.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 261.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुनूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खुटेरी प.ह.नं. 24	1.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ भू.-अप्रक्र 35/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	नवागांव प.ह.नं. 21	1.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र.क्र. 36 अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	ढुंडेरा प.ह.नं. 25	4.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र.क्र. 37/अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खपरी प.ह.नं. 22	2.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ/भू.-अ.प्र.क्र. 38/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	लासाटोला प.ह.नं. 25	0.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र. क्र. 39 अ/82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कोटगांव प.ह.नं. 22	5.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ.भू.-अ.प्र.क्र. 40/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	नवागांव प.ह.नं. 25	1.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक अ.भू.-अ.प्र.क्र. 41/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	रेंहची प.ह.नं. 22	1.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक प्र.क्र. 42/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	परसतराई प.ह.नं. 23	3.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 01 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	बलरामपुर	सरनाडीह	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग-अम्बिकापुर.	बलरामपुर-कुसमी मार्ग पर चनान सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 02 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	बराहनगर	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग-अम्बिकापुर.	मुरकोल-डिण्डो मार्ग पर घुमर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु..

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 06 अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	रामपुर	0.720	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग-अम्बिकापुर.	रामानुजगंज-वाड्रफनगर सेन्दूर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 09 अ–82/99–2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	पचावल	0.744	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग–अम्बिकापुर.	सनावल–पचावल मार्ग पर पागम सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 09 अ–82/2012–2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू–अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	चेरा	3.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.–2, रामानुजगंज.	चेरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 20 जून 2013

रा.प्र.क्र. 10 अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध के संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	कनकपुर	0.22	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग-अम्बिकापुर, जिला-बलरामपुर, रा. गंज (छ.ग.)	रामानुजगंज - चिनियां मार्ग में उच्चस्तरीय सेतु तथा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 307/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 23/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प.ह.नं. 73/16	1278	0.902	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट विस्तार के लिए.
			1279/1	0.061		
			1279/2	0.041		
			1281/16	0.055		
			1281/19	0.759		
			1281/20	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1281/21	0.109		
			1281/22	0.040		
			1281/23	0.364		
			1281/24	0.255		
			1281/25	0.358		
			1281/26	0.002		
			1281/27	0.043		
			1281/28	0.121		
			1281/29	0.097		
			1281/30	0.045		
			1281/31	0.040		
			1281/32	0.040		
			1281/33	0.069		
		योग	19	3.415		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 308/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 21/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प.ह.नं. 73/16	1578/1	0.054	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अर्थॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र (लेयर-01) अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
		योग	1	0.054		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 309/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 32/अ. 82 वर्ष 2013.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटराभाटा प.ह.नं. 20	212	0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के योजना क्षेत्र हेतु.
			213	0.02		
			249/1	0.30		
			252/3	0.05		
			253	0.26		
			254	1.54		
			271	0.03		
			272/2	0.40		
			385/1	0.56		
			385/6	0.72		
			410/1(क)	0.56		
			429/1	0.32		
			433	0.62		
		योग	13	5.44		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 310/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 28/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तेन्दुआ प.ह.नं. 22	469	0.42	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के फेस-II में ए.डी. रोड-3 हेतु.
			513	0.56		
			514	0.21		
			666/2	0.02		
			667	0.02		
			668	0.16		
			675/1	0.03		
			676	0.36		
			678	0.27		
			679	0.36		
			680	0.24		
			681	0.04		
			689	0.15		
			690	0.01		
		योग	14	2.85		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 311/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 22/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रीको प.ह.नं. 21	405	0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास (योजना क्षेत्र) हेतु.
			406	0.06		
			407	0.06		
		योग	3	0.18		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 312/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 31/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	राखी प.ह.नं. 71/16	55/1	0.05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र/लेयर-01 अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			70/1	0.31		
			170/3	0.04		
			296	0.04		
			341	0.03		
			354/3	0.01		
			392/2	0.01		
			392/3	0.01		
			392/4	0.01		
			392/5	0.01		
			396/2	0.03		
			404/2	0.04		
			597	0.22		
			606/2	0.15		
			671/7	0.28		
			887	0.31		
			891	0.20		
		योग	17	1.75		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 313/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 29/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प.ह.नं. 68/21	355	0.51	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के लेयर-2 में ए.डी. रोड-01 हेतु.
			511/1	0.04		
			533/1	0.12		
			533/2	0.08		
			538	0.08		
			647/2	0.05		
		योग	6	0.88		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 314/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 26/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूंची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प.ह.नं. 71/16	508	1.39	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र/लेयर-01 अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			509/1	0.17		
			688	2.93		
		योग	03	4.49		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक 315/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 24/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भेलवाडीह प.ह.नं. 22	488	0.59	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए बाटनिकल पार्क हेतु.
			530/2	0.20		
			565	0.54		
		योग	03	1.33		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक/595/भू.अ./अ.वि.अ./13 अ./82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चंदखुरी प.ह.नं. 77/3	34	0.35	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर.	पुल निर्माण हेतु
			240/1	0.06		
			1119	0.24		
		योग	3	0.65		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक 316/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 30/अ. 82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प.ह.नं. 25	15	0.22	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में योजना क्षेत्र अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए.
			16	0.08		
			17	0.12		
			21	1.41		
			22	0.43		
			32	0.12		
			33	0.04		
			34	0.03		
			35	0.03		
			36	0.20		
			37	0.33		
			38	0.79		
			133	2.01		
			403	3.57		
			186	0.15		
			297	0.21		
			299	0.89		
			333	0.05		
			336	0.29		
			400	1.00		
			401	1.01		
			404	0.63		
			480/3	0.01		
			480/4	0.01		
		योग	**24**	**13.63**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक 317/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 20/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेंध	9/1	0.49	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास (योजना क्षेत्र) हेतु.
			9/2क	0.09		
			12/2	0.28		
			102/4क	0.32		
			123/2	1.05		
			126	0.19		
			128	2.23		
			177/1	0.02		
			177/3	0.01		
			177/4	0.03		
			198	0.04		
			237	0.34		
			343/1	0.12		
			510	0.05		
			532	0.29		
		योग	15	5.55		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	डंडाईडीह प.ह.नं. 38	0.557	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	पारोदरहा प.ह.नं. 38	0.483	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	डभरा प.ह.नं. 38	0.547	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय तालाब (नहर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	झाबड़ प.ह.नं. 38	0.323	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय तालाब (नहर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	पठियापाली प.ह.नं. 38	2.901	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय योजना के डूबान एवं तालाब (नहर) का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कुमरता प.ह.नं. 7	0.778	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायगढ़.	कुमरता मैनपाट मार्ग पर सांगुल नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

(2)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 21 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 02 अ-82/वर्ष 2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-भोथली, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515	0.06
636	0.12
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद-ओरमा-जगन्नाथपुर मार्ग में जुझारा नाला में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 जून 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 01 अ-82/वर्ष 2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-खरथुली, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/1	0.13
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बालोद-ओरमा-जगन्नाथपुर मार्ग में जुझारा नाला में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक/3655/भू.अ.प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-करेंगांव, प.ह.नं. 31/47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
930/1	0.03

(1)	(2)
980/1	0.02
892/2	0.12
931	0.12
935	0.05
940	0.05
936	0.05
937	0.04
938	0.07
880/2	0.03
880/3	0.04
882	0.08
855	0.04
885	0.03
857	0.10
856	0.03
877	0.08
734	0.32
725	0.07
724	0.08
645	0.02
726	0.06
703	0.22
649	0.02
695/2	0.06
647/2	0.07
646	0.06
651	0.07
656	0.02
586/2	0.10
655	0.01
531	0.23
529/1	0.01
530/3	0.02
529/2	0.04
530/2	0.04
735	0.06
881	0.06
586/1	0.16
898	0.35
897	0.09
योग 41	3.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंगांव जलाशय के रपटा नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक/3657/भू.अ.प्र.क्र./9/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-करतूटोला, प.ह.नं. 31/47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
253/1	0.10
258	0.26
551	0.02
474	0.05
552/1	0.01
468/2	0.03
553	0.01
554	0.01
542/1	0.07
552/2	0.01
468/4	0.08

(1)	(2)
541	0.11
471	0.01
475	0.05
476	0.04
465	0.03
467	0.14
408	0.11
455	0.13
398	0.11
306/1	0.04
464	0.06
306/3	0.07
457	0.09
456	0.15
490	0.02
256/3	0.01
256/1	0.04
256/2	0.04
257/4	0.08
416/4	0.03
416/5	0.04
364/1	0.04
364/2	0.05
364/3	0.05
364/4	0.02
424/3	0.04
424/5	0.03
424/4	0.05
291/3	0.06
466	0.03
468/1	0.07
186	1.40
193	1.06
184/1	0.38
194/1	0.44
योग	5.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करतूटोला जलाशय के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
108	0.60
109/1	0.29
109/2	0.29
योग	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केम्प निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-दलदली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.64 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	5/3	1.60
	6/4	0.02
	42/1	0.28
	42/2	0.05
	42/5	0.25
	42/11	0.07
	46/1	0.30
	46/4	1.00
	46/12	0.62
	46/14	0.50
	46/15	0.95
योग	11	5.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दलदली व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-81/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी (स)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	515	0.06
	519/2	0.35
	518/2	0.15
	376	0.15
	374/2	0.05
योग	5	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ी एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 9/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-अमने, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
276/2	0.14
278	0.44
279	0.19
योग 3	0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साजापाली एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नांगचुवा, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
37	0.30
योग 1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4857/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गिरगांव, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296/10	0.138
योग 1	0.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4858/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-घुघवा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.936 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	275	0.032
	270	0.113
	274	0.016
	277	0.045
	280/3	0.040
	279/2	0.024
	212/21	0.425
	279/1	0.024
	280/2	0.032
	280/4	0.021
	122/2	0.109
	271/2	0.077
	272	0.028
	273	0.024
	278	0.097
	223/3	0.121
	212/16	0.186
	212/1	0.522
योग	18	1.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-डोंगरगांव, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.02 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	227/2	0.11
	227/3	0.24
	227/4	0.04
	228/1	0.31
	228/2	0.25
	229/2	0.17
	245/3	0.51
	242/2	0.14
	245/1	0.22
	250	0.09
	268	1.67
	269/2	0.10
	270	0.17
योग	13	4.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4859/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4860/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2) अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बिहरीकला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	3/1	0.06
	3/8	0.10
	3/2	0.16
	3/6	0.05
	3/7	0.06
	4	0.60
	5	0.60
	10	0.03
	12	0.01
	13	0.20
	11	0.04
योग	11	1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिहरीखुर्द एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4861/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-अं. चौकी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	288/4	0.24
	288/5	0.20
	288/6	0.37
योग	3	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिहरीखुर्द एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/4862/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-परसाटोला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
7/3	0.10

	(1)	(2)
	7/2	0.10
	7/5	0.04
योग	3	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-महाराजगंज
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.898 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	171/1क	0.021
	465/2	0.032
	464	0.096
	465/1	0.096
	471/2क	0.014
	472	0.032
	478/2	0.073
	471/2ख	0.013
	478/1	0.121
	474	0.096
	471/2ग	0.013
	465/1	0.081
	463	0.210
योग	13	0.898

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "बगरसुता-महराजगंज मुनुन्द मार्ग पर निर्माणाधीन माण्ड नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुनुन्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
144/1ख	0.065
150	0.101

	(1)	(2)
	1441/1च	0.243
	152	0.142
	147/2	0.061
	153	0.117
	149	0.121
योग	7	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "बंगरसुता-महराजगंज मुनुन्द मार्ग पर निर्माणाधीन माण्ड नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-पखनाकोट
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.252 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	453	0.518
	449	0.097
	499	0.162
	500/4	0.105
	483	0.041
	501/3क	0.049
	501/3ख	0.15
	450	0.065
योग	7	1.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "डुडबहार-पखनाकोट मार्ग पर डुडबहार नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-सलका
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	436/2	0.073
	28	0.053
	436/3	0.097
	436/5	0.020
	435	0.053
	435	0.008
योग	6	0.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "सेराडांड औराडांड सलका कुमरता मार्ग पर सांगुल नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-रावनखोंदरा, प.ह.नं. 26
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	55/1	0.044
	38/1	0.024
	38/4	0.012
योग	3	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के धनगांव वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-खोखरा, प.ह.नं. 26
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/1क	0.085
42	0.061
51	0.383
115/9	0.120
112/1	0.073
115/3	0.085
85	0.008
43/4	0.020
27/1ख	0.020
49	0.157
74/1	0.004
84/2	0.101
104/1	0.105
106	0.008
110/6	0.032
50/2	0.016
29/2	0.181
48/2	0.016
111/1	0.008
115/6	0.044
84/1	0.080
52/1	0.008
75/4	0.121
75/1	0.008
112/2	0.096
77/1	0.004
111/2	0.012
115/8	0.032
105/1	0.032
110/5	0.032
50/1	0.105

	(1)	(2)
	113/2	0.016
योग	32	2.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के खोखरा माइनर 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.285 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	382/3	0.017
	379/5	0.065
	383/3	0.010
	409/1	0.072
	383/2	0.011
	409/3	0.029
	408/1	0.081
योग	7	0.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर के अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-खोखरा, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.095 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
496/711/4	0.040
496/711/3	0.045
293/1	0.010
492/3ख	0.040
297/1	0.109
494/4	0.089
296/5	0.032
293/717	0.036
492/2ख	0.008
496/711/1	0.032
492/3क	0.045
293/2	0.012
292/3क	0.040
296/1	0.032
297/2	0.100
292/5	0.012
294/3	0.008
494/1	0.008
493/1	0.049
291	0.081
294/2	0.081
292/3ख	0.024
296/2	0.081
494/5	0.024
496/711/2	0.045

	(1)	(2)
	496/5	0.012
योग	26	1.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत खोखरा माइनर 2 नहर के निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-बरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.424 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63	0.126
	44/2	0.016
	44/1	0.154
	49	0.012
	46	0.040
	34/3	0.016
	210/1	0.057
	205/2	0.024
	335	0.064
	334	0.008
	317/2	0.041
	310/2	0.052
	310/5ख	0.016
	60	0.012
	339/1	0.028
	51/1	0.032
	48/3	0.014
	203	0.162
	34/4	0.028
	205/3	0.028
	338	0.070
	333/2	0.020
	318/1	0.012
	315/1	0.032
	311/3	0.020
	674/1	0.707
	61	0.040
	375/3	0.012
	51/2	0.032
	47	0.012
	336	0.064
	33/1	0.162
	209/1, 209/3	0.085
	339/3	0.028
	379/1	0.046
	316	0.032
	310/5क	0.015
	299	0.020
	674/2	0.871
	59	0.040
	318/2	0.012
	50	0.012
	45	0.146
	675, 676/2	0.168
	33/2क	0.085
	205/1	0.024
	339/2	0.050
	375/1	0.162
	137/1	0.041
	310/4	0.064
	298	0.242
	675, 676/1	0.168
योग	52	4.424

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गोर्रा, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.929 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138/2	0.040
	162/6	0.041
	963/2	0.032
	1156/2	0.045
	1057/1	0.012
	956/6	0.041
	176/3	0.036
	1052	0.008
	1161/2	0.183
	240/3	0.040
	138/3	0.020
	190/2	0.129
	1056/2, 1056/4/1	0.142
	540	0.004
	162/2	0.004
	550/1	0.080
	1077/3	0.036
	1066/1ख	0.036
योग	18	0.929

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर के अंतर्गत धनगांव (पूरक) वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-52.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
472/1क	0.202
461/4	0.049
468/4	0.178
426/3	0.202
436/1	0.405
465/5	0.016
464/2	0.243
460/2	0.202
462/2	0.122
440/4	0.146
445/2	0.259
445/3	0.347
427/2	0.129
458/3	0.511
468/5क	0.919
443/5	0.486
435	0.781
438/4क	0.251
464/3	0.081
437/2	0.142
426/5	0.321
459/1	0.101
462/6	0.101
462/5	0.243
461/2	0.065
462/3	0.008
440/5	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
454/2	0.987	534/3	0.057
419/3	0.146	532/3	0.146
426/1	0.204	438/1	0.101
453/3, 458/3	0.052	419/5	0.028
434/4	0.526	428/2, 429/2	0.073
445/5	0.304	469/2	0.069
545/1	0.081	441/1	0.089
466/4	0.235	468/3	0.045
465/1	0.125	445/6	0.157
453/1	0.259	546/1	0.036
428/3	0.202	470/1	0.299
460/1	0.089	442/2	0.349
463/2	0.024	532/1	0.150
463/1	0.036	419/11	0.154
461/3	0.057	442/3	0.352
463/4	0.024	455	0.478
431/1	0.368	545/3	0.081
457/2	0.287	456	0.283
421/3	0.190	434/7	0.445
428/1	1.198	445/7	0.142
452/2	0.364	472/1च	0.672
442/4	0.352	420/1	0.017
536/3	0.530	427/3	0.299
434/5	0.971	436/2	0.372
443/4	0.870	434/1	0.526
419/7	0.028	472/2	0.158
534/1	0.057	473/1ज	0.065
434/2	0.971	473/1घ	0.125
445/1	0.299	439	1.303
545/2	0.081	437/1	0.311
434/3	0.486	470/3	0.299
445/4	0.308	465/2	0.174
538/1	0.405	441/2	0.085
454/1	0.777	419/6	0.024
430	0.494	534/2	0.061
432	0.142	470/2	0.299
441/4	0.125	441/3	0.113
426/2क	0.142	468/2	0.008
419/8	0.020	536/4	0.081
457/1	0.211	441/5	0.081
438/4ख	0.251	469/1	0.073
473/2	0.091	443/1	0.486
441/7	0.032	535/2	0.405
470/4	0.299	426/2ख	0.049
438/3	0.202	443/2	0.486
451	1.232	533	0.113

(1)	(2)
452/1	0.465
468/1	0.016
446	0.409
422/1	0.138
531	0.334
547	0.047
433	0.077
443/6	0.486
535/1	0.934
444	2.003
467/4	0.231
532/4	0.146
440/2	0.267
419/2	0.583
472/1घ	0.202
466/2	0.987
473/1ख	0.064
419/9	0.036
473/1क	0.146
472/1ग	0.202
466/1	0.312
473/1ड	0.344
422/2	0.360
426/1	0.162
459/2	0.121
466/3	0.247
458/1	0.036
426/4	0.283
461/1	0.097
463/3	0.032
464/1	0.105
462/1	0.089
463/5	0.012
431/2	0.283
470/2	0.243
421/4	0.073
440/3	0.195
459/3	0.097
443/3	0.874
545/4	0.081
473/1छ	0.575
442/1	0.352

(1)	(2)
419/4	0.036
467/1	0.227
441/6	0.162
443/7	0.866
536/1	0.530
427/1	0.368
443/8	0.866
536/2	0.530
453/2	0.405
471/1	0.089
434/6	0.485
472/1ख	0.405
421/1	0.154
421/2	0.380
440/1	0.287
438/2	0.146
467/3	0.227
538/2	0.194
473/3	0.030
469/4	0.069
534/4	0.057
458/2	0.138
546/2	0.032
473/1ग	0.154
468/6	0.214
420/2	0.224
419/10	0.036
467/2	0.227
532/2	0.146
466/5	0.223
473/1च	0.121
469/3	0.069
योग 193	52.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गइ अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कांसाबेल
- (ग) नगर/ग्राम-दोकड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.5[illegible]2 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209	0.129
208/1	0.234
208/2	0.101
208/3	0.101
208/9	0.101
208/5	0.049
245/7	0.069
245/1	0.069
245/6	0.069
245/5	0.065
245/2	0.016
271/2	0.016
243/4	0.101
243/3	0.121
272/3	0.154
773/2	0.251
776	0.101
828/1	0.304
286	0.352
289	0.202
290, 836/2	0.259
291	0.016
831	0.202
827/2, 826/2	0.049
290/1, 836/1	0.190
903/1	0.243
1161/4	0.069
805	0.251
805/1	0.405
799	0.154
272/2	0.150
806/2	0.137
797	0.049
789/3	0.065
788	0.020
705, 755	0.073
756/2	0.049
757/2	0.162
773/1	0.166
761/6	0.024
759/2	0.012
904	0.184
1164	0.364
903/2	0.142
1161/3	0.065
905	0.020
920	0.028
923	0.024
924	0.101
918/1	0.210
1161/2	0.182
1168	0.154
1531/9	0.065
1548	0.113
1499/5	0.065
1532	0.089
1533/1	0.049
1533/2	0.085
1499/4	0.065
1537/2	0.134
1538	0.061
1549	0.040
1497/1	0.162
1498/1	0.032
1498/4	0.069
1531/2	0.008
1498/3	0.117

	(1)	(2)
	1531/1	0.065
	826/1, 827/1	0.089
	242	0.234
	287/1	0.301
	1497/2	0.162
	287/2	0.202
	287/4	0.146
	773/5	0.113
	773/4	0.069
	773/3	0.167
	771	0.142
	756/3	0.129
	1162/2	0.210
	1166	0.040
	1167	0.020
	1550	0.024
	1173/3	0.170
	1552/2	0.223
	1555	0.134
योग	90	10.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी एनीकट योजना की मुख्य नहर चैन क्रमांक 430 से 580 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011 12. --चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कांसाबेल
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532	0.223
531/1	0.510
531/2	0.259
386/1	0.065
397/3	0.093
397/4	0.081
399	0.445
457/1क	0.036
273/2, 395/1	0.121
274/3	0.049
273/1	0.283
402	0.065
403/2	0.008
272	0.049
227/12	0.113
271/2	0.301
227/13	0.089
260	0.202
257/2	0.291
258	0.137
261	0.148
228/2	0.004
230/6	0.012
232/2	0.101
187/4	0.032
232/3	0.121
230/5	0.024
187/1	0.121
177/3	0.304
177/7	0.040
180/3	0.036
180/8	0.089
181, 182, 185/4	0.073
180/10	0.032
237/1	0.251
385/2	0.081
387/1	0.121
386/2	0.170
386/3	0.182

	(1)	(2)
	397/5	0.150
योग	40	5.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी एनीकट योजना की मुख्य नहर चैन क्रमांक 370 से 430 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/201 .-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कांसाबेल
(ग) नगर/ग्राम-दल्हागोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.851 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	210/3	0.024
	212/2	0.020
	211	0.101
	214/2	0.081
	225/2	0.154
	213	0.065
	220	0.053
	218/3	0.054
	219	0.202
	222	0.049
	224	0.097
	225/3	0.157
	76/23	0.243
	202	0.012
	200	0.206
	215	0.016
	227	0.344
	126	0.202
	127	0.061
	75	0.219
	69/1	0.101
	123/2	0.146
	124/2	0.065
	125	0.045
	76	0.162
	69/3	0.121
	74/2	0.053
	73/2	0.220
	65/3	0.016
	32	0.304
	31/3	0.315
	30	0.057
	228	0.304
	31/4	0.073
	21/2	0.226
	28/2	0.283
योग	36	4.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी एनीकट योजना की मुख्य नहर चैन क्रमांक 277 से 300 तथा 312 से 335 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2013

क्रमांक 982/अरपा साडा/2013-14.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (असाडा) निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रों का प्रकाशन सूचना क्रमांक-948/असाडा/2013 दिनांक 14-06-13 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (असाडा) निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण मे छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अरपा विशेष क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है.

अनुसूची

उत्तर में	-	ग्राम घुटकू, लमेर, लक्षनपुर, लोफंदी एवं कछार के नदी तट भाग की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम कछार, सेंद्री, कोनी, सरकंडा, चांटीडीह, लिंगियाडीह एवं मोपका के नदी तट भाग की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम मोपका, दोमुहानी, देवरीखुर्द एवं तोरवा के नदी तट भाग की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम तोरवा, जूना बिलासपुर, कुदुदण्ड, मंगला, लोखण्डी, तुर्काडीह, निरतु एवं घुटकू के नदी तट भाग की पश्चिमी सीमा तक.

No. 982/ASADA/2013.—The Existing Land use map and register for the Arpa Special Area Development Authority planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 522/T&CP/2013 date 02-02-13.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map of Arpa Special Area Development Authority Planning Area so prepared and published are duly adopted by the Director, Town and Country Planning under the provision of sub section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps have been duly prepared and adopted.

Arpa Special Area Development Authority Bilaspur (C.G.)

SCHEDULE

NORTH	-	Village Ghutku, Lamer, Lachhanpur, Lofandi up to the Northern Limits of River Kachhar.
EAST	-	Village Kachhar, Sendri, Koni, Sarkanda, Chantideeh, Lingiadih up to the Eastern limits of River Mopka.
SOUTH	-	Village Mopka, Domuhani, Devarikhurd, up to the Southern limits of River Torwa.
WEST	-	Village Torwa, Juna Bilaspur, Kududand, Mangla, Loknandi, Turkadeeh, Nirtu up to the Western limits of River Ghutku

एस. एल. रात्रे,
संभागीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धमतरी

धमतरी, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक क/स्था. निर्वा./न.नि. निर्वा./2013/455—श्री युवराज निषाद पार्षद वार्ड क्रमांक 13 नगर पंचायत भखारा के द्वारा शिक्षक (पंचायत) के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप पार्षद पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है.

नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा 2 के अंतर्गत श्री युवराज निषाद पार्षद वार्ड क्रमांक 13 नगर पंचायत भखारा का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है.

एन. एस. मंडावी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd July 2013

No. 397/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, who are working on deputation in the capacity as metioned in Column No. (2) of the table below, are hereby posted in the regular courts in the capacity as mentioned in Column No. (6) at the place mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office and.;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentoined in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ashok Kumar Pathak, Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission.	Raipur	Raipur	Raipur	III Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Anil Kumar Gaikwad, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge.

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.